संशोधन आदेश

संख्या-261 /2023/ 3645 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 23 अगस्त, 2023**

विषय:- कजरी महोत्सव-2023 के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक शासनादेश संख्या-237/2023/3221/चार-2023, दिनांक 21 जुलाई, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-237/2023/ 3221/चार-2023, दिनांक 21 जुलाई, 2023 के प्रस्तर-1 में उप प्रस्तर- (7) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(7) स्वीकृत धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों/ जिला पर्यटन एवं संस्कृत परिषद को उनके बैंक खातों में उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या-237/2023/3221/चार-2023, दिनांक 21 जुलाई, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या -261 /2023 / 3645 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, आजमगढ़ / अयोध्या/ गोरखपुर/ वाराणसी/ मिर्जापुर/ बस्ती।
6. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in